उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–2
संख्या– 338 /XV-2/01(26)/08
देहरादून : दिनांक 5 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दुग्ध ग्रिड के सुदृढीकरण हेतु रिवाल्विंग फण्ड के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम मिल्क ग्रिड सुदृढीकरण रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 है।

संक्षिप्त विवरण

2. (1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दुग्ध ग्रिड सुदृढीकरण हेतु स्वीकृत रू0 350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) एवं पशुआहार परिचालन व्यय हेतु स्वीकृत रू0 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) की धनराशि रिवाल्विंग फण्ड कहलायेगी।

(2) राज्य दुग्ध ग्रिड और दुग्ध मार्गों के लिए परिचालन व्यय हेतु स्वीकृत रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि रू0 350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध व दुग्ध पदार्थों (एस.एम.पी./डब्ल्यू.एम.पी./घी/बटर ऑयल) का क्रय किया जाएगा तथा पशुआहार परिचालन व्यय हेतु स्वीकृत रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि रू0 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) से पशुआहार निर्माण हेतु कच्चा माल का क्रय किया जाएगा।

(3) रिवाल्विंग फण्ड बिना किसी आवर्तक अनुदान के अनवरत संचालित किया जाएगा।

3. रिवाल्विंग फण्ड की निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जाएगी, जिसका संचालन प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी एवं प्रबन्धक, (वित्त), उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

आय का स्रोत

4. (1) रिवाल्विंग फण्ड के बचत खाते में सरकार से इस प्रयोजन हेतु प्राप्त होने वाली धनराशियां।

(2) दुग्ध संघों द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी के रिवाल्विंग फण्ड की अदायगी करने हेतु यू.सी.डी.एफ. द्वारा रिवाल्विंग फण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एवं रिपेमेन्ट शैड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसके समय से वापसी न होने पर दण्ड की शर्तों का भी उल्लेख होगा। रिवाल्विंग फण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एवं रिपेमेन्ट शैड्यूल की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जाएगी।

आहरण वितरण अधिकारी

5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी द्वारा इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का आहरण व वितरण उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी की प्रबन्ध कमेटी के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा। इस मद में स्वीकृत धनराशि के आहरण–वितरण अधिकारी प्रबन्ध निदेशक होंगे।

लेखे का रख–रखाव।

6. (1) रिवाल्विंग फण्ड के दैनिक लेखे बनाये जाने तथा उनके पर्यवेक्षण हेतु प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी द्वारा किसी ख्याति प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट की सेवाएँ ली जायेगी।

(2) प्रबन्धक (वित्त) लेखा के रखरखाव हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

कच्चे माल का निर्धारण।

7. विभिन्न दुग्ध संघों को उपलब्ध रिवाल्विंग फण्ड से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध व दुग्ध पदार्थ–एस.एम.पी./डब्ल्यू.एम.पी./घी/बटर ऑयल तथा पशुआहार निर्माण हेतु कच्चा माल निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय किया जाएगा।

धनराशि का जमा किया जाना एवं आय– व्यय की समीक्षा

8. विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली धनराशि को नियमित रूप से सम्बन्धित दुग्ध संघों द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी के एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा तथा जमा की गयी धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी की प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त दुग्ध संघों/पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

(1) रिवाल्विंग फण्ड का व्यय एवं वापसी संलग्न अनुबन्ध पत्र में वर्णित निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(2) प्रत्येक तीन माह में प्रोजेक्ट के कार्यों तथा रिवाल्विंग फण्ड के आय–व्ययक की समीक्षा प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार रिवाल्विंग फण्ड का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी निदेशक, डेयरी विकास विभाग, हल्द्वानी होंगे तथा उनके द्वारा प्रत्येक त्रैमास में रिवाल्विंग फण्ड/प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट शासन/भारत सरकार को भेजी जाएगी।

(4) प्रबन्ध निदेशक द्वारा विभिन्न दुग्ध संघों की त्रैमासिक समीक्षात्मक टिप्पणी निदेशक, डेयरी विकास विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) नोडल अधिकारी निदेशक/अपर निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि रिवाल्विंग फण्ड से व्यय की गई धनराशि की शत्–प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक कर ली जाय।

लेखे का वार्षिक निरीक्षण।

9. (1) रिवाल्विंग फण्ड का लेखा–जोखा पृथक से रखा जाएगा, जिसका आन्तरिक सम्परीक्षण उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा करने के पश्चात महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा विभागीय सम्प्रेक्षण किया जाएगा।

(2) रिवाल्विंग फण्ड के लेखे–जोखे का ऑडिट वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कराया जायेगा साथ ही महालेखाकार द्वारा भी नियमानुसार ऑडिट किया जायेगा।

त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रेषण।

10. (1) योजना के उद्देश्यों की पूर्ति का स्टेटस प्रतिशत में लिया जायेगा। साथ ही लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के विवरण दिये जायेंगे।

(2) लाभ हानि की क्या स्थिति रही है स्पष्ट की जायेगी।

(3) रिवाल्विंग फण्ड के प्रति–पूर्ति की स्थिति दी जायेगी।

(4) पूर्व में किये गये ऑडिट के बिन्दुओं की अनुपालन की स्थिति दी जायेगी।

(5) प्रतिवेदन की प्रति उत्तराखण्ड शासन के प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग से अशा0 संख्या–127/XXVII-4/2 009, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या – 338/(1)/ XV-2/01(26)/08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु।
4. स्टाफ ऑफिसर–अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त को अवगत कराने हेतु।
5. निदेशक, डेरी विकास विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रेस, रूडकी को इस कथन के साथ प्रेषित है कि इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0पंत)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 338 /XV-2/01(26)/08 दिनांक ५ फरवरी, 2010 का संलग्नक

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक ..... प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है तथा प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 ...., जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है एवं ..... बैंक के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्पन्न हुआ :

1. यह कि प्रथम पक्ष रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि द्वितीय पक्ष को दुग्ध उपार्जन व दुग्ध पदार्थों (एस.एम.पी./डब्ल्यू.एम.पी./घी/बटर ऑयल) के क्रय हेतु उपलब्ध करायेगा। द्वितीय पक्ष सम्बन्धित धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही करेगा।
2. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आपसी सहमति से द्वितीय पक्ष को रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि उपलब्ध कराने एवं किस्तवार रिवाल्विंग फण्ड की वापसी का शिड्यूल तय करेंगे, जोकि इस अनुबन्ध का भाग होगा एवं दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित मुहरयुक्त एवं स्वीकार्य होगा।
3. यह कि उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा दुग्ध संघों को उपलब्ध करायी गयी रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि रिपेमेन्ट ऑफ शेड्यूल के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड खाते में जमा कराना होगा, जिस हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जाएगी :

(क.) उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) का शिड्यूल/नेशनलाईज बैंक में रिवाल्विंग फण्ड का खाता खुलेगा, उसी बैंक में प्रत्येक दुग्ध संघ का एस्को खाता खोला जाएगा।

(ख.) सम्बन्धित दुग्ध संघ को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की बिक्री की धनराशि को ऐसे बैंक के खाते में रखना होगा, जहां पर आर0टी0जी0एस0 (रीयल टाइम ग्रास सेटेलमेन्ट) की सुविधा उपलब्ध हो। सम्बन्धित दुग्ध संघ का प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंक को पूर्व में ही लिखित निर्देश देगा कि निर्धारित माह से प्रत्येक माह की पहली तारीख को रिवाल्विंग फण्ड मद में ली गयी धनराशि की निर्धारित किस्त की धनराशि आ0टी0जी0एस0 के माध्यम से अपने एस्को खाता हल्द्वानी बैंक में स्थानान्तरित कर दें। तदुपरान्त बैंक द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघ के एस्को खाते में से फेडरेशन के खाते में धनराशि स्थानान्तरित कर दी जाएगी। इस प्रकार सम्बन्धित दुग्ध संघ से रिवाल्विंग फण्ड की वसूली सुनिश्चित होगी।

(ग.) यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत धनराशि की वापसी की जाती है, तो प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार की ब्याज द्वितीय पक्ष से लेने का हकदार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत धनराशि की वापसी नहीं की जाती है, तो उस दशा में प्रथम पक्ष अवशेष धनराशि पर निर्धारित अवधि के उपरान्त शेष धनराशि, जो वापस नहीं की गयी, उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लेने का हकदार होगा।

(घ.) रिवाल्विंग फण्ड मद में ली गयी धनराशि का निर्धारित किस्त की धनराशि का भुगतान समयान्तर्गत न करने पर अथवा रिवाल्विंग फण्ड का दुरूपयोग करने पर द्वितीय पक्ष (सम्बन्धित दुग्ध संघ) के प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक तथा प्रबन्धक (वित्त) संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त अनुबन्ध आपसी सहमति से निष्पादित सम्पन्न किया गया।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	तृतीय पक्ष
ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रबन्ध निदेशक, यू.सी.डी.एफ.	प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ	शाखा प्रबन्धक/सम्बन्धित बैंक
दो साक्षी प्रथम पक्ष	दो साक्षी द्वितीय पक्ष	दो साक्षी तृतीय पक्ष
1	1	1 .....
.....	.....	.....
2	2	2 .....
.....	.....	.....

उपलब्ध करायी जाएगी।